राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांक प.2(31)कार्मिक/क 3/96 जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2000

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव,
समस्त सम्भागीय आयुक्त एवं
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषय :– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये जन सेवकों के निलम्बन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.12.96 की ओर आकर्षित कर लेख है कि उक्त परिपत्र के पैरा 1(i) द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि यदि कोई जनसेवक राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जावें तो उसे राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत तुरन्त निलम्बित किया जाए। यदि किसी मामलें में विशेष परिस्थितिवश निलम्बन आवश्यक नहीं समझा जावे तो उस जन सेवक का स्थानान्तरण तुरन्त ऐसे पद पर तो कर ही दिया जाए जहां जन सम्पर्क कम हो, साथ ही वह जन सेवक अनुसंधान में बाधा नहीं पहॅुचा सके और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सके।

इस विषय पर पुनर्विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई जन–सेवक भ्रष्टाचार निराेधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जावे तो उसे राजस्थान सिविल सेवाऐं वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत आवश्यक रूप से बिना किसी अपवाद के तुरन्त प्रभाव से निलबित किया जावें। अतः भविष्य में इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित जन सेवक को तुरन्त निलम्बित करना अनिवार्य होगा।

कृपया उक्त निर्देश सभी संबंधित के ध्यान में लावे तथा तदनुसार कार्रवाही सुनिश्चित करें।

एस.डी.
(अशोक सम्पतराम)
सचिव, कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, कार्मिक मंत्री, राजस्थान, जयपुर
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली

एस.डी.
शासन उप सचिव